

प्ररूप सं. 3गठक

[नियम 6 देखें]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास सुविधा से संबंधित अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख)
के अधीन लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

1. *मैंने/हमने मैसर्स के में अवस्थित अनुसंधान और विकास केंद्र, जिसे विहित प्राधिकारी (सचिव, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) द्वारा आदेश सं. तारीख द्वारा अधिनियम की धारा 35(2कख) के अधीन अनुमोदित किया गया है, के लेखाओं की लेखापरीक्षा कर ली है।
2. *मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि:
(क) कंपनी ने अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के अधीन विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र के पृथक् लेखे रखे हैं।
(ख) लेखाओं को समाधानप्रद रूप से रखा गया है। प्रमाणित किया गया व्यय भी विज्ञान और अनुसंधान विभाग के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है।
3. रूप (..... राजस्व रूप ; पूंजी रूप ; भूमि और भवन रूप ; अन्य रूप), जिसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत वित्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया है, मेरे/हमारे द्वारा अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र की गई लेखा परीक्षा के परिणाम के अनुसार मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। संपरीक्षित वित्तीय विवरण/वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ पर अनुसंधान और विकास पूंजी व्यय तथा पृष्ठ पर राजस्व व्यय भी परिलक्षित किया गया है।

.....
लेखापाल के हस्ताक्षर**

लेखापाल का नाम

लेखापाल का पता

सदस्यता संख्या

तारीख :

स्थान :

टिप्पण:

1. *जो लागू न हों उसे काट दें।
2. **यह रिपोर्ट लेखापाल द्वारा दी जानी है-
लेखापाल से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई लेखापाल अभिप्रेत है।

-
1. आय-कर (दसवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 1.7.2016 से अंतःस्थापित।